संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई मेल mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष 0755-2427091

3098

क्रमांक /टीसी/42/बैतूल/उपां-क/नग्रानि/2025 भोपाल,दिनांक:- 12/09/2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
भोपाल।

विषय:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन बैतूल विकास योजना, 2035 में सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, आमोद-प्रमोद अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग में भू-उपांतरण बाबत। (नजूल बैतूल जिला बैतूल म.प्र. स्थित नजूल शीट नं. 45 प्लाट नं. 15 रकबा 1.1215 हेक्टेयर) (आवेदक - कलेक्टर जिला बैतूल म.प्र.)

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने बैतूल विकास योजना, 2035 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अत: संलग्न सूचना, बैतूल नगर में प्रचलित ऐसे **एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा बैतूल नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदानुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियॉ इस संचालनालय को उपलब्ध का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक /टीसी/42/बैतूल/उपां-क/नग्रानि/2025 भोपाल,दिनांक:- /09/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बैतूल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल म.प्र. की ओर लेख है कि उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियां एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

3098 भोपाल, दिनांकः- 12/09/2025

क्रमांक 3098/टीसी/42/बैतूल/उपां-क/नग्रानि/2025 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बैतूल विकास योजना, 2035 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	नजूल बैतूल जिला बैतूल म.प्र.	**नजूल शीट नं. 45 प्लाट नं. 15**	1.1215	1.1215	प्रस्तावित बस स्थानक, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं मार्ग (प्रस्तावित चौडाई 24.00 एवं 36.00 मीटर)	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग (प्रस्तावित चौडाई 24.00 एवं 36.00 मीटर)
	कुल रकबा		**1.1215**	**1.1215**		

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन स्थल के दक्षिण दिशा में माचना नदी स्थित है, बैतूल विकास योजना, 2035 के अनुसार नदी से 30.00 मीटर की दूरी तक वृक्षारोपण हेतु भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में नाला स्थित है अत: नाले के किनारे से 9.00 मीटर की दूरी तक वृक्षारोपण हेतु भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
3. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में बडोरा-इटारसी वर्तमान मार्ग स्थित है जिसकी प्रस्तावित चौडाई 36.00 मीटर है। अत: मार्ग के मध्य से दोनों ओर 18.00 मीटर-18.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु छोडना आवश्यक होगा।

4. प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में गंज बैतूल की ओर जाने वाला वर्तमान मार्ग स्थित है, जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर है। अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 12.00 मीटर-12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।

5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

6. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. किसी भी प्रकार का नदी एवं नाले में प्रदूषण फैलाना मान्य नहीं होगा।

8. बैतूल विकास योजना, 2035 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, **2012** के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल तथा संचालनालय की वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल